किया गया है किन्तु लघु उद्योगों के लिए कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) भारत की 1991 की गणना के अनुसार निर्माण, प्रसंस्करण, सेवा और मरम्मत में कुल रोजगार की तुलना में लघु क्षेत्र में रोजगार का अनुपात 44 प्रतिशत (लगभग) था।

(छ) बैंकों को हिदायत दी गई है कि अब से ग्राम्य, अत्यन्त छोटे उद्योग तथा अन्य लघु उद्योग एककों जिन्हें बैंकिंग प्रणाली से 1 करोड़ रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण का कुल निधि आधार है, उन्हें नए और मौजूदा एककों के लिए उनके परिकल्पित वार्षिक कारोबार कम से कम 20 प्रतिशत के आधार पर गणना करके कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी।

उदारीकरण की नीति का उद्योगों पर प्रभाव

1430. **श्री राम जेठमलानी।**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उदारीकृत औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन के कारण देश में उद्योगों और विशेष रूप से लघु तथा कुटीर-उद्योगों में रुग्णता की आशंका बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या देश के लघु तथा कुटीर-उद्योगों को इस संभावित संकट से बचाने के लिये सरकार कुछ विशेष कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी प्रस्तावित रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

शोध और विकास पर किया गया व्यय

1431. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अगस्त, 1993 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में "आर एण्ड डी फेलस टू पिक-अप डिस्पाइट इकोनोमिक रिफोर्म : स्टडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए घोषित औद्योगिक नीति तथा "गेट" प्रस्तावों की स्वीकृति के कारण औद्योगिक क्षेत्र में शोध और विकास की आवश्यकता और भी बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश में औद्योगिक इकाईयों द्वारा इस दिशा में किये जाने वाले व्यय में कमी की जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान शोध तथा विकास पर व्यय की गयी कुल पूंजी निवेश की औसत प्रतिशतता अलग-अलग वर्ष में कितनी है;

(ङ) क्या सरकार इस राशि के व्यय को उद्योगों की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त मानती है; और

(च) यदि नहीं, तो इस मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। उद्योग द्वारा अनुसंधान एवम् विकास पर व्यय निरंतर बढ़ा है।

(घ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी० एस० आई० आर०) से मान्यता प्राप्त आंतरिक अनुसंधान तथा विकास एककों द्वारा अनुसंधान तथा विकास पर किये गए खर्च की अनुमानित राशि इस प्रकार थी :-

वर्ष	व्यय
1991-92	1000 करोड़ रुपये
1992-93	1100 करोड़ रुपये

सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के हिस्से का अनुपात 45 : 55 है।

(ङ) और (च) भारत में अनुसंधान तथा विकास पर व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग एक प्रतिशत है और इसकी तुलना विकासशील देशों द्वारा किये गए व्यय से की जा सकती है। भारत में अनुसंधान तथा विकास पर किया गया व्यय विकसित देशों की तुलना में कम है। सरकार ने उद्योग में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए और अनुसंधान तथा विकास में विनेश को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये हैं। मान्यता प्राप्त अनुसंधान तथा विकास एककों को वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन और सहायता से संबंधित उपाय इस प्रकार हैं :-

(1) कम्पनी के लाभ से 100 प्रतिशत अनुसंधान तथा विकास व्यय घटा कर आय-कर में राहत;

(2) स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित सामान के निर्माण के लिये लगाये गये संयंत्र तथा मशीनों के लिए सामान्य 25 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत की उच्च दर पर बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास भत्ता,

(3) स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर उत्पादित बल्क औषधियों के लिए मूल्य नियंत्रण से छूट,

(4) उद्यम/संस्थागत स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास सहयोग,

(5) विशिष्ट अंतर-गृह अनुसंधान तथा विकास उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, और

(6) अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में प्रायोजित अनुसंधान के लिए 125 प्रतिशत की दर से भारित कर कटौती।

लघु उद्योगों के लिए सीमित क्षेत्रों में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों का प्रवेश

1432. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1994 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "फारेन कम्पनीज एन्ट्रींग रिस्ट्रिक्टिड सेक्टर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कई विदेशी संस्थाएं देश के विद्यमान कानून में खामियों का लाभ उठा कर बड़े उद्योगों के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्रों में उत्पादन-कार्य आरंभ करके देश के लघु उद्योगों के लिए संकट पैदा करना चाहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार कानून में विद्यमान खामियों को दूर करने हेतु तत्काल कार्यवाही करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) जी हां। 12 फरवरी, 1994 के "फाइनेंशल एक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आया है। परन्तु, लघु क्षेत्र में निर्माण के लिए उत्पादों के आरक्षण की नीति 24 जुलाई, 1991 को घोषित सरकार की नयी औद्योगिक नीति के अधीन जारी रखी गई है।